न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन इजराय वाद–07 / 2016

चन्दन कुमार वगैरह.....वादीगण

बनाम

डॉ0 दीनानाथ चौधरी वगैरह .....प्रतिवादीगण

आदेश

31.01.23 अभिलेख आज डिक्रीदार की ओर से दीवानी प्रकिया संहिता की धारा–151 के अंतर्गत वर्तमान इजराय वाद की कार्रवाई को अग्रसारित करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–27.06.2022 तथा उसके तत्संबंधित निर्णित ऋणी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–29.08.2022 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में डिक्रीदार ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान इजराय वाद बंटवारा वाद सं0–173 / 2004 में पारित अंतिम डिक्री वाद सं0–24 / 2014 के अग्रसरण में दाखिल किया गया है। वर्तमान वाद की कार्रवाई माननीय अपर जिला न्यायाधीश प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.05.2018 के अनुसार अगले छः माह के लिए स्थगित किया गया था जो दिनांक–16.11.2018 को समाप्त हो गया, परन्तु दिनांक–15.03.2019 एवं 29.11.2021 को आवेदक द्व ारा वर्तमान वाद की कार्रवाई को संचालित करने के निवेदन के बावजूद कार्रवाई संचालित नहीं हो पायी जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसियन रिसर्फेसिंग रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सी0बी0आई0 के वाद में पारित आदेश के अनुसार कोई भी स्थगन आदेश छः माह की समाप्ति के पश्चात् स्वमेव शून्य माना जाता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही पारित निर्णय के आलोक में इसे डिक्री के प्रतिफल को बाधित करना बतलाया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभिनिर्धारित वाद के अनुसार वाद की कार्रवाई अग्रतर संचालित करने की कृपा की जाए।

31/1/2023

उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में निर्णित ऋणी के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि डिक्रीदार द्वारा पूर्व में दाखिल उपरोक्त दोनों आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–23.09.2019 एवं 07.02.2022 को खारिज किया जा चुका है और पीठासीन पदाधिकारियों के सीनांतरण पश्चात् डिक्रीदार यह आवेदन दाखिल करते हैं। विभाजन वाद सं0–173 / 2004 के विरुद्ध विभाजन अपील वाद सं0–06 / 2014 एवं फाइनल अपील वाद सं0–2414 के विरुद्ध अंतिम डिक्री अपील वाद सं0–47 / 2016 सुनवाई हेतु लंबित है। पक्षकारों के बीच विभाजन

P·EX-07/2016

31.01.23 वाद सं0–99/1985 में दाखिल संधि के आधार पर बंटवारा एवं दखल–कब्जा पूर्व में ही हो चुका है जबकि उसके आधार पर निर्णित ऋणी के नाम जमाबन्दी सं0–1130 काबिज है और उपरोक्त एकपक्षीय डिक्री के आधार पर वे विवादित भूमि पर दखल–कब्जा चाहते हैं। डिक्रीदार द्वारा कई मृत प्रतिवादी के वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और विभाजन अपील वाद सं0–06/2014 के लंबित रहने के दौरान मृत व्यक्तियों के विरुद्ध ही आदेश प्राप्त कर लिया। आवेदक द्वारा सही तथ्यों की जानकारी न देते हुए आदेश प्राप्त किया गया है। निर्णित ऋणी विवादित भूमि पर बंटवारा वाद सं0–99/1985 में पारित डिक्री के अनुसार दखल–कब्जा में हैं और वर्तमान वाद की अपील सुनवाई हेतु लंबित है। अतः वर्तमान वाद का निष्पादन उन्हें अपूर्णीय क्षति कारित करेगा। उपरोक्त अपीलीय न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि यदि अपील का निष्पादन अपीलकर्ता के कारण छः माह की अवधि में नहीं हो पाता है तो उत्तरवादीगण न्यायालय के समक्ष मामले में जारी स्थगित आदेश को वापस लिए जाने की प्रार्थना कर सकते हैं। वर्तमान वाद के डिक्रीदार स्वंय अधिवक्ता हैं और निर्णित ऋणी को परेशान करने के नियत से लगातार आवेदन दाखिल करते आ रहे हैं। अतः उनका आवेदन क्षलपूर्ण एवं खारिज किए जाने योग्य हैं

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद स्थगन के संबंध में अपीलीय न्यायालय का आदेश उभय पक्षों द्वारा स्वीकृत है एवं समान आशय के आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक–23.09.2019 एवं 07.02.2022 को विनिर्दिष्ट आदेश पारित किया जा चुका है। आदेश दिनांक–23.09.2019 के अनुसार डिक्रीदार को इस न्यायालय का विनिर्दिष्ट निर्देश था कि अपीलीय न्यायालय से पारित आदेश दिनांक–16.05.2018 के अनुसार उन्हें यह स्वतंत्रता दी गई थी कि यदि अपील का निष्पादन अपीलकर्ता के कारण छः माह में नहीं हो पाता है तो वे वर्तमान वाद के स्थगन संबंधी कार्रवाई को वापस लेने हेतु निवेदन कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार का कोई निवेदन उनके द्वारा नहीं किया गया न ही डिक्रीदार द्वारा वर्तमान आवेदन में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि उन्होंने अपीलीय न्यायालय में ऐसा कोई आवेदन दाखिल किया हो।

31/1/2023

इस प्रकार न्यायालय को इस तथ्य का समाधान हो जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए विनिर्दिष्ट निर्देश के बावजूद तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–23.09.2019 के बावजूद डिक्रीदार न्यायालय के आदेश का सम्मान करने में विफल रहे हैं जबकि उनके पक्ष में

1st Ex - 07/2016

31.01.23 दिनांक–23.09.2019 को आदेश पारित किया जा चुका है कि यदि वे अपीलीय न्यायालय का आदेश ले आते हैं तो वाद की कार्रवाई अग्रसारित कर दी जाएगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वाद में विनिर्दिष्ट दिशा–निर्देश के अनुसार निम्न न्यायालय को यह निर्देशित किया गया है कि यदि न्यायालय को किसी वाद के स्थगन के संबंध में विनिर्दिष्ट निर्देश प्राप्त नहीं है उस दशा में वाद के स्थगन को छः माह के अवधि की समाप्ति पश्चात् शून्य माना जाएगा जबकि वर्तमान वाद में डिक्रीदार को अपीलीय न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देश यह प्राप्त है कि यदि अपीलकर्ता द्वारा वाद के निष्पादन में विलंब होता है तो वे स्थगन अपास्तीकरण हेतु निवेदन कर सकते हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि डिक्रीदार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त दिशा–निर्देश का सहारा लेते हुए अपीलीय विचारण न्यायालय एवं वर्तमान निष्पादन न्यायालय के निर्देशों की अवमानना करते हुए वाद संचालन का आशय रखते हैं।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि डिक्रीदार द्वारा दाखिल आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा पारित विनिर्दिष्ट निर्देश के प्रतिकुल है और उनका आशय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के आलोक में वाद के संचालन का आशय रखता है। अतः वर्तमान आवेदन इस निर्देश के साथ अस्वीकृत किया जाता है कि सर्वप्रथम डिक्रीदार विचारण न्यायालयों के दिशा–निर्देशानुसार वाद स्थगन के अपास्तीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

वाद दिनांक– 20-03-2023 वास्ते अग्रतर कार्रवाई।

अवर न्यायाधीश,
31/1/2023
शाहपुर पटोरी।